



**अचल सम्पत्तियों के लिए सार्वजनिक नीलामी बिक्री सूचना**

**वितीय आस्तियों की प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) (सरफेसी अधिनियम, 2002) साथ में पठित प्रतिभूति हित (नियमों, 2002 के नियम 6(2) और/या नियम 8 (6) के अधीन नीलामी सूचना**

जैसाकि, उक्त कथित सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अधीन और कथित अधिनियम की धारा 13(2) में पठित नियम 3 के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बड़ौदा यू0पी0 बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी द्वारा मांग सूचना जारी की जिसमें तथा कर्जदार (रों) और गारंटीदाता(ओं)/बंधककर्ता(ओं) को कथित सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर कथित सूचना के अनुसार राशि का भुगतान करने को कहा गया और जैसाकि कर्जदार(रों)/गारंटीदाता(ओं) बंधकदाता(ओं)/ने राशि का भुगतान नहीं किया और अतः अधोहस्ताक्षरी ने कथित अधिनियम की धारा 13(4) साथ में पठित नियमों के नियम 4 और/या नियम 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पत्ति/संपत्तियों (इसके बाद कथित सम्पत्तियों नाम से निर्दिष्ट का कब्जा ले लिया है जैसा कि अधोहस्ताक्षरी, सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) (ए) के तहत प्रदत्त अधिकारों के अनुपालन में कथित सम्पत्तियों की बिक्री द्वारा बैंकों के बकायों की वसूली का प्रस्ताव रखते हैं। एतद्द्वारा जनसाधारण और विशेष रूप से कर्जदार (रों) और गारंटीदाता (ओं)/बंधककर्ता (ओं) को सूचना दी जाती है कि निम्नवर्णित अचल सम्पत्ति जो प्रतिभूत लेनदारों के पास बंधक/प्रभारित पड़ी है, जिसका रचनात्मक कब्जा प्राधिकृत अधिकारी, बड़ौदा यू0पी0 बैंक, प्रतिभूत लेनदार द्वारा ले लिया गया है, जिसे निम्नांकित बकायों की वसूली हेतु निम्नांकित सारणी में अंकितानुसार तिथि को "जैसा है जहां है, जैसा है जो है" और "जो है वही है" आधार पर बेचा जायेगा। जनसाधारण और विशेष रूप से कर्जदार (रों) और गारंटीदाता (ओं)/बंधककर्ता (ओं) को एतद्द्वारा दोबारा सूचित किया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने सरफेसी अधिनियम 2002 के अधीन निम्नांकित अचल सम्पत्तियों के लिए बोली/निविदाएं/कोटेशन्स आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। इसलिए, इच्छुक व्यक्तियों/बोलीदाताओं को 18.04.2024 को या उससे पहले, बड़ौदा यू0पी0 बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, पक्काबाग तिराहा, इटावा में मुहरबन्द लिफाफे में, निम्नांकित नियम व शर्तों को पूरा करके अपनी बोली प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। निविदा 19.04.2024 को दोपहर 3.00 बजे खोली जायेगी।

क्र0 सं0	बकायेदार/जमानतदार का नाम, पता व खाता संख्या	सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना की तिथि/अधिग्रहण तिथि/अधिग्रहण प्रकार	बकाया धनराशि (रु0)	आरक्षित धनराशि/अग्रिम धनराशि/ (ईएमडी) (रु0)	विवाद का विवरण/अवलंबन का विवरण
<b>शाखा: असेनी दिबियापुर, जिला औरैया खाता सं0- 3320526120</b>						
1	मेसर्स राघव राज सीड्स प्रो. सुरेश चंद्र वर्मा पुत्र श्री राधे श्याम वर्मा (खाता नंबर 3320526120) पता-गांव- भगवतीगंज पोस्ट - दिबियापुर जिला- औरैया (यूपी) और (गारंटर का नाम बताएं) 1. श्रीमती अर्चना उर्फ राधा पत्नी श्री सुरेश चन्द्र वर्मा पता- ग्राम- भगवतीगंज रामकृष्ण नगर पोस्ट- दिबियापुर, औरैया जिला- औरैया (उ.प्र.), 2. श्री राज बहादुर पुत्र श्री राधे श्याम वर्मा, पता- ग्राम- भगवतीगंज पोस्ट-दिबियापुर, औरैया जिला- औरैया (उ.प्र.)।	संपत्ति: प्लॉट/गाटा संख्या 833 का साम्यिक बंधक, मूल विक्रय पत्र दिनांक 25.01.2012, दस्तावेज संख्या 832 क्षेत्रफल- 918 वर्ग फीट। गुंजन टाकौज के पास लखनपुर, दिबियापुर जिला औरैया में स्थित है सीमाएँ:- पूर्व-दलवीर सिंह यादव का प्लॉट, पश्चिम-सार्वजनिक रास्ता, उत्तर-सुरेश चंद्र यादव का प्लॉट, दक्षिण-नरेश चंद्र का प्लॉट मालिक का नाम-अर्चना उर्फ राधा पत्नी सुरेश चंद्र वर्मा, पता- भगवतीगंज दिबियापुर, औरैया	मांग सूचना की तिथि 28.12.2022 अधिग्रहण सूचना की तिथि 18.07.2023	रु. 3,23,356/- + दिनांक 27.12.2022 से देय ब्याज अन्य अनुमन्य व्यय (मांग सूचना के बाद जमा की गई राशि घटाये)	आरक्षित धनराशि रु. 5,95,107/- अग्रिम धनराशि रु. 59,511/-	ज्ञात नहीं

बिक्री के नियम एवं शर्तें: 1. इच्छुक बोलीदाताओं को मुहरबन्द लिफाफे में अपनी बोली जमा करनी है। पैन कार्ड एवं फोटो पहचान पत्र के साथ (लिफाफे के ऊपर स्पष्टतः और पठनीय बोली क्रम सं0 एवं प्रकाशन की तिथि वर्णित होनी चाहिए)। 2. बोलीदाताओं को बोली के साथ अग्रिम में इटावा में देययोग्य एवं प्राधिकृत अधिकारी, बड़ौदा यू0पी0 के पक्ष में डीडी/बैंकर्स चेक के रूप में जमा धरोहर राशि के रूप में आरक्षित मूल्य का 10% जमा/संलग्न करना होगा। सर्वोच्च बोली मूल्य (आरक्षित मूल्य से कम की नहीं होनी चाहिए) को सफल बोलीदाता के रूप में माना जाएगा। और शेष सफल बोलीदाताओं की ईएमडी एक सप्ताह के अन्दर बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी। 3. सफल बोलीदाता को डीडी/बैंकर्स चेक के रूप में उसी दिन/अगले दिन बोली रकम (ईएमडी शामिल रहेगा) का 25% जमा करना होगा और शेष अनिवार्य रूप से बिक्री की पुष्टि के 15 दिनों के अन्दर जमा करना होगा, अगर वे ऐसा नहीं करते हैं उनके द्वारा पूर्व में जमा की गयी रकम जब्त कर ली जाएगी। 4. प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताये या पूर्व सूचना दिये बोली/सर्वोच्च बोली को स्वीकार/अस्वीकार/रद्द/निलंबित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। प्राधिकृत अधिकारी बिक्री/नीलामी की तिथि को बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। 5. प्राधिकृत अधिकारी किसी भी प्रकार के बकाया प्रबारों/देनदारियों/भार/करों/सरकारी बकायों और अन्य पक्ष के दावों व बकायों के लिए जवाबदेही नहीं होंगे। 6. सम्पत्ति को आरक्षित मूल्य से कम में किसी भी रकम पर बेचा नहीं जाएगा। सफल बोलीदाता को सभी स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क का भुगतान स्वयं करना होगा। 7. सफल नीलामी के लिए स्टॉप शुल्क पंजीकरण शुल्क, सम्पत्ति कर या राज्य सरकार को देय राशि आदि का वहन स्वयं करना होगा। 8. बोली/बिक्री बैंक की पुष्टि के अधीन होगी। सम्पत्ति को "जैसा है जहां है", "जैसा है जो कुछ है" और "वहां जो कुछ भी है" आधार पर बेचा जा रहा है। 9. यह बोलीदाताओं की एकमात्र जिम्मेदारी है कि ये सम्पत्तियों के संबंध में संतुष्ट एवं पुष्ट हो लें। वे अपराह्न 12.00 बजे से सायं 04.00 बजे तक किसी भी कार्यदिवस पर संबंधित शाखा से समय लेकर सम्पत्ति को देख/निरीक्षण कर सकते हैं। 10. यह बिक्री नोटिस कर्जदारों/गारंटीकर्ता(ओं)/बंधककर्ता(ओं) के लिए विशेष रूप से तथा जनता/सर्वसाधारण के लिए सामान्तर रूप से है। 11. बिक्री की विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया प्रतिभूत लेनदारों की वेबसाइट में प्रदान किए गये लिंक यानी <https://www.barodagraminbank.com/sarfaesinotice.php>.